47

संख्याः५५०/XVIII(II)/2013–01(114)/2010

प्रेषक,

भास्करानन्द,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
हरिद्वार।

राजस्व अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांकः 6 मार्च 2013

विषयः–मै0 महावीर इन्डस्ट्रीज, दिल्ली को ग्राम लाठरदेवा हूण, तहसील रूडकी, जिला हरिद्वार में औद्योगिक प्रयोजन (रबर सीट इत्यादि के उत्पादन) हेतु 0.1400 है0 भूमि क्रय की अनुमति प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, आपके पत्र संख्या–1535/भूमि व्यवस्था–2012 दिनांक–02.04.2012 के क्रम में, मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल, सम्बन्धित शासनादेश संख्या–08/भूक्रय/18(1)/2007 दिनांक–18.07.2008 को अवक्रमित करते हुए मै0 महावीर इन्डस्ट्रीज, दिल्ली को ग्राम लाठरदेवा हूण, तहसील रूडकी, जिला हरिद्वार में औद्योगिक प्रयोजन (रबर सीट इत्यादि के उत्पादन) हेतु 0.1400 है0 भूमि क्रय की अनुमति उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एंव उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) अधिनियम, 2003 दिनांक 15.1.2004 की धारा 154(4)(3)(क)(v) के अन्तर्गत आपके उपरोक्त पत्र के द्वारा अनुमोदित/संस्तुत खसरा संख्याओ के अनुसार निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के साथ प्रदान करते हैः–

1– केता धारा–129–ख के अधीन विशेष श्रेणी का भूमिधर बना रहेगा और ऐसा भूमिधर भविष्य में केवल राज्य सरकार या जिले के कलैक्टर, जैसी भी स्थिति हो, की अनुमति से ही भूमि क्रय करने के लिये अर्ह होगा।

2– केता बैंक या वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने के लिये अपनी भूमि बन्धक या दृष्टि बन्धित कर सकेगा तथा धारा–129 के अन्तर्गत भूमिधरी अधिकारों से प्राप्त होने वाले अन्य लाभों को भी ग्रहण कर सकेगा।

3– केता द्वारा क्रय की गई भूमि का उपयोग दो वर्ष की अवधि के अन्दर, जिसकी गणना भूमि के विक्रय विलेख के पंजीकरण की तिथि से की जायेगी अथवा उसके बाद ऐसी अवधि के अन्दर जिसको राज्य सरकार द्वारा ऐसे कारणों से जिन्हें लिखित रूप में अभिलिखित किया जायेगा, उसी प्रयोजन (रबर सीट इत्यादि के उत्पादन) के लिये करेगा जिसके लिये अनुज्ञा प्रदान की गई है। यदि वह ऐसा नहीं करता अथवा उस भूमि का उपयोग जिसके लिये उसे स्वीकृत किया गया था, उससे भिन्न किसी अन्य प्रयोजन हेतु करता है अथवा जिस प्रयोजनार्थ क्रय किया गया था उससे भिन्न प्रयोजन के लिये विक्रय, उपहार या अन्यथा भूमि का अन्तरण करता है तो ऐसा अन्तरण उक्त अधिनियम के प्रयोजन हेतु शून्य हो जायेगा और धारा–167 के परिणाम लागू होंगे।

.....2

4– जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी अनुसूचित जनजाति के न हों और अनुसूचित जाति के भूमिधर होने की स्थिति में भूमि क्रय से पूर्व सम्बन्धित जिलाधिकारी से नियमानुसार अनुमति प्राप्त की जायेगी।

5– जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर न हों।

6– शासन द्वारा दी गई भूमि क्रय की अनुमति शासनादेश निर्गत होने की तिथि से 180 दिन तक वैध रहेगी।

7– क्रय की जाने वाली भूमि का उपयोग इकाई द्वारा प्रस्तावित "रबड़ सीट पाईप एण्ड मोल्ड्स फ्लोरिंग कवर, मैट्स तथा इलैक्ट्रिक इंसुलेशन मैट्स" विनिर्माणक उद्योग की स्थापना हेतु ही किया जायेगा।

8– प्रस्तावित उद्योग में उत्तराखण्ड मूल के बेरोजगारों को नियमित रूप से न्यूनतम 70 प्रतिशत से अधिक का रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा।

9– क्रय की जाने वाली भूमि का उपयोग यदि औद्योगिक से भिन्न हो तो उसे नियमानुसार औद्योगिक में परिवर्तित कराकर शासन द्वारा निर्धारित नीति/मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अन्तर्गत प्रचलित नियमों/मानकों एवं भवन उपविधियों के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही करते हुए औद्योगिक प्रयोजन हेतु, फैक्ट्री भवन निर्माण का प्लान सीडा/सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृत कराने के पश्चात ही स्थल पर निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

10– प्रस्तावित इकाई का निर्माण कार्य राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण सीडा–2005 के मानकों/नियमों के अनुरूप होगा।

11– इकाई के पूंजी निवेश से पूर्व पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हेतु उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से, अग्निशमन विभाग से नियमानुसार स्वीकृति/अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

12– इकाई द्वारा क्रय अनुबन्धित भूमि राज्य सरकार से औद्योगिक क्षेत्र/आस्थान के रूप में अधिसूचित/विनियमित नहीं है। अतः इकाई को इस भूमि पर इकाई द्वारा प्रस्तावित क्रियाकलापों की स्थापना किये जाने पर विशेष पैकेज का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।

13 प्रस्तावित स्थल पर अवस्थापना विकास से सम्बन्धित कार्यो का दायित्व सम्बन्धित इकाई का होगा।

14– किसी दशा में प्रस्तावित केताओं को प्रस्तावित भूमि के अतिरिक्त अन्य भूमि के उपयोग की अनुमति नहीं होगी एवं सार्वजनिक उपयोग की भूमि या अन्य कोई भूमि पर कब्जा न हो इसके लिये भूमि क्रय के तत्काल बाद उसका सीमांकन कर लिया जाय।

15– भूमि का विक्रय अपरिहार्य परिस्थितियों के अतिरिक्त अनुमन्य नहीं होगा एवं ऐसी दशा में विक्रय किये जाने हेतु सकारण शासन का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

16– इकाई की स्थापना के पूर्व उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य वांछित विधिक एवं अन्य अनापत्तियां/अनुज्ञायें/प्रमाण पत्र आदि नियमानुसार प्राप्त कर लिये जायेंगे।

.....3

17– इकाई द्वारा पूर्व शासनादेश दिनांक 18.07.2008 के क्रम में पूर्व बैनामें में स्टाम्प डयूटी के रूप में जमा रूपये 92,700.00 की धनराशि को नये बैनामें में समायोजन किये जाने के सम्बन्ध में वित्त विभाग (निबन्धन) के स्तर से नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

18– उपरोक्त शर्तों/प्रतिबन्धों का पूर्णतः अनुपालन न होने पर तथा भिन्न उपयोग करने, उल्लंघन होने की दशा में अथवा किसी अन्य कारणों से, जिसे शासन उचित समझता हो, प्रश्नगत स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।

कृपया इस सम्बन्ध में तद्नुसार कार्यवाही करते हुए शासनादेश के परिप्रेक्ष्य में, जनपद स्तर से निर्गत किये जाने वाले आदेश की प्रति, अनिवार्य रूप से शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(भास्करानन्द)
सचिव।

पृ0प0सं0–७५० /समदिनांकित/2013

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2– प्रमुख सचिव, वित्त (निबन्धन)विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. सचिव, श्रम एवं सेवायोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4– आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5– आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
6– महानिरीक्षक, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन, उत्तराखण्ड देहरादून।
7– श्री चिराग जैन पुत्र श्री अजय जैन, लेन नं0–4, समयपुर, इन्डस्ट्रीयल एरिया लिबासपुर, दिल्ली। 8
8– निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड, सचिवालय परिसर, देहरादून।
9– प्रभारी मीडिया केन्द्र, सचिवालय, देहरादून।
10– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(संतोष बडोनी)
अनुसचिव।